

छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक- एफ 2-10/2013/56/इ.सू.प्रौ.

रायपुर, दिनांक 2/1/16

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
2. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
3. संभागीय आयुक्त, समस्त, छत्तीसगढ़
4. कलेक्टर, समस्त, छत्तीसगढ़

विषय-वीडियो कांफ्रेन्सिंग प्रणाली के उपयोग बावत।

संदर्भ-मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक 141/मु.स./2004 दिनांक 15/10/04।

संदर्भित पत्र के तारतम्य में अनुरोध है कि वर्ष 2016 के लिए विभागीय वीडियो कांफ्रेन्सिंग हेतु समय-सारिणी इस पत्र के संलग्न भेजी जा रही है। यह वीडियो कांफ्रेन्सिंग मंत्रालय, नया रायपुर के एम-1/10 में स्थापित वीडियो कांफ्रेन्सिंग कक्ष से की जायेगी।

प्रत्येक विभाग के प्रमुख एवं अधीनस्थ अधिकारीगण इस प्रणाली का उपयोग कर जिला/ संभागीय अधिकारियों से संलग्न समय सारिणी अनुसार निर्धारित दिवस को दोपहर 2.00 बजे से वीडियो कांफ्रेन्सिंग करेंगे।

(मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

सौरभ कुमार
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक- एफ 2-10/2013/56/इ.सू.प्रौ.

रायपुर, दिनांक 2/1/16

प्रतिलिपि-

1. मुख्य सचिव के उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय रायपुर को सूचनार्थ।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन आई सी, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सौरभ कुमार
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागवार जिले से वीडियो कांफ्रेंसिंग की समय सारिणी वर्ष 2016

क्र	विभाग का नाम	माहवार वीडियो कांफ्रेंसिंग की तिथि (दर्शाये अनुसार प्रति दिन दोपहर 2 बजे से)											
		जनवरी 16	फरवरी 16	मार्च 16	अप्रैल 16	मई 16	जून 16	जुलाई 16	अगस्त 16	सित. 16	अक्टू. 16	नव. 16	दिस. 16
1	सामान्य प्रशासन विभाग एवं जन शिकायत निवारण	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
2	परिवहन गृह विभाग पुलिस	4	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2
3	राजस्व एवं पुनर्वास विभाग	5	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3
4	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	6	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5
5	वन विभाग	7	5	5	6	6	6	7	5	6	6	5	6
6	वित्त, वाणिज्य कर (दोपहर 2.45 से 3.30 तक), योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	8	6	8	7	7	7	8	6	7	7	7	7
7	वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग एवं ग्रामोद्योग विभाग	11	8	9	8	9	8	11	8	8	10	8	8
8	खनिज साधन विभाग	12	9	10	11	10	9	12	9	9	13	9	9
9	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्रम विभाग (दोपहर 4 से 5 तक)	13	10	11	12	11	10	13	10	13	14	10	14
10	जल संसाधन एवं आयाकट विभाग	14	11	14	13	12	13	14	11	14	17	11	15
11	कृषि विभाग	15	12	15	18	13	14	15	12	15	18	15	16
12	पशुपालन एवं मछलीपालन विभाग	18	15	16	20	16	15	18	16	16	19	16	19
13	ऊर्जा विभाग	19	16	17	21	17	16	19	17	19	20	17	20
14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	20	17	18	22	18	17	20	19	20	21	18	21
15	नगरीय विकास विभाग, आवास पर्यावरण एवं पर्यावरण	21	18	21	23	19	21	21	22	21	22	21	22
16	लोक निर्माण विभाग	22	19	22	25	20	22	22	23	22	24	22	23
17	उच्च शिक्षा, (दोपहर 2 से 3.00 तक) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन (दोपहर 3 से 5.00 तक)	23	22	24	26	23	23	23	24	23	25	23	24
18	स्कूल शिक्षा विभाग पर्यटन, (दोपहर 2 से 4 तक) संस्कृति खेल एवं युवक कल्याण विभाग (दोपहर 4 से 5 तक)	25	23	26	27	24	24	25	26	24	26	24	26
19	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	27	24	28	28	25	25	26	27	26	27	25	27
20	पंचायत एवं समाज कल्याण (दोपहर 2 से 3.30 तक) महिला एवं बाल विकास विभाग (दोपहर 3.30 से 5.00 तक)	28	25	29	29	26	27	27	29	27	28	26	28
21	आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	29	26	30	30 (दोप 3 से 5)	27	28	28	30	28	29	28	29
22	जनसम्पर्क विभाग (दोपहर 2 से 4 तक), सू प्रौ एवं जै प्रौ विभाग (दोपहर 4 से 5 तक),	30 (दोपहर 2 से 4 तक)	27	31 (दोपहर 2 से 4 तक)	30 (दोपहर 2 से 4 तक)	28	29	29	31 (दोपहर 2 से 4 तक)	29	31 (दोपहर 2 से 4 तक)	29	30
23	सहकारिता विभाग	30 (दोप. 4 से 5)	29	31 (दोप. 4 से 5)		30	30	30	31 (दोप 4 से 5)	30	31 (दोप 4 से 5)	30	31